

वाई. अब्राहम अजीत और अन्य

बनाम

पुलिस निरीक्षक, चेन्नई और अन्य

17 अगस्त 2004

[अरिजीत पासायत और सी. के. ठक्कर, जे जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

धारा 177- सामान्यतः धारणा का अर्थ: सामान्यतः 'शब्द इंगित करता है कि प्रावधान एक सामान्य प्रावधान है और इसे संहिता में निहित प्रावधानों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। सामान्यतः शब्द द्वारा निहित अपवाद कानून द्वारा विशेष रूप से प्रदान किए गए अपवादों तक सीमित होने की आवश्यकता नहीं है।

धारा 177- सुनवाई का स्थान आयोजित: यह वह स्थान है जहाँ अपराध किया जाता है। संक्षेप में यह अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए कार हैं।

धारा 177- "कार्यवाही का कार" धारणा का निहितार्थ: आपराधिक मामलों में कार्यवाही का कार स्थानीय क्षेत्राधिकार को संदर्भित करता है जहां अपराध किया जाता है।

धारा 178 (सी) “लगातार अपराध” जिसका अर्थ है: वह है जो निरंतरता के लिए अतिसंवेदनशील है और एक अपराध से अलग है जो एक बार और हमेशा के लिए किया जाता है।

शब्द और वाक्यांश:

“साधारतया” का अर्थ- दंड प्रक्रिया संहिता, 1978 की धारा 177 के संदर्भ में।

“निरंतर अपराध” का अर्थ- दंड प्रक्रिया संहिता- 1978 की धारा 178 (सी) के संदर्भ में।

प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 498- ए और 406 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हैं शिकायत दर्ज की। जाँच के बाद अपीलकर्ताओं के विरुद्ध महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था। इस स्तर पर अपीलकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मजिस्ट्रेट के पास शिकायत पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि कार्यवाही के कार का कोई भी हिस्सा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न नहीं हुआ था। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। इसलिए याचिका दायर की गई है।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह तर्क दिया गया कि अपराध संहिता की धारा 178(सी) के तहत लगातार जारी रहने वाला अपराध था और इसलिए न्यायालय को शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था।

न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए-

धारणा: 1.1 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 177 में "सामान्यतः" शब्द का उपयोग इंगित करता है कि प्रावधान एक सामान्य है और इसे संहिता में निहित प्रावधान के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। {609- जी- एच, 610- ए}

1.2 "सामान्यतः" शब्द द्वारा निहित अपवाद कानून द्वारा विशेष रूप से प्रदान किए गए अपवादों तक सीमित नहीं होना चाहिए और अपवाद हो सकते हैं। विचार करने पर विधि द्वारा उपबंध किया जाए या उसी न्यायालय द्वारा अपराधों के संयुक्त विचार की अनुमति देने वाले विधि के उपबंधों से निहित किया जा सकता है। वर्तमान मामले में ऐसा कोई अपवाद लागू नहीं होता है। { 610- बी}

पुरुषोत्तमदास डालमिया बनाम पश्चिम बंगाल, राज्य आकाशवाणी (1961) एससी. 1589, एल. एन. मुखर्जी बनाम मद्रास राज्य, ए.आई.आर. (1961) एस.सी. 1601, बनवारीलाल झुनजुनवाला बनाम भारत संघ,

आकाशवाणी (1963) एससी 1620 और मोहन बैठा बनाम बिहार राज्य, {2001} 4 एस.सी.सी. 350, पर निर्भर था।

2. निरंतर अपराध वह है जो निरंतरता के लिए अतिसंवेदनशील है और एक बार और उसके लिए किए गए अपराध से अलग, यह उन अपराधों में से एक है जो किसी नियम या इसकी आवश्यकता का पालन करने या उसका पालन करने में विफलता से उत्पन्न होता है और जिसमें जुर्माना शामिल होता है, दायित्व अनुपालन तक जारी रहता है, कि हर अवसर पर गैर- अनुपालन की अवज्ञा होती है या पुनरावृत्ति होती है, अपराध किया जाता है। {610- सी- डी}

बिहार राज्य बनाम देवकर नेन्शी, एआईआर {1973} एससी 908, ने भरोसा किया।

3.1 संहिता की धारा 177 के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ अपराध किया जाता है। संक्षेप में यह आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने का कार है। { 610- एच, 611- ए}

3.2 दीवानी मामलों में, आम तौर पर अभिव्यक्ति "वाद कार" शब्द प्रयोग होता है जबकि संहिता की धारा 177 में बताए गए अनुसार आपराधिक मामलों में यह उस स्थानीय अधिकार क्षेत्र में है जहाँ अपराध किया गया है। संदर्भ व्युत्पत्ति संबंधी अभिव्यक्ति में ये भिन्नताएँ वास्तव में

स्थिति नहीं बनाती हैं। इसलिए "वाद कार" अभिव्यक्ति आपराधिक मामलों के लिए एक अजनबी नहीं है। {611- ए- बी}

4. अभिव्यक्ति "वाद कार" ने न्यायिक रूप से नियत अर्थ प्राप्त कर लिया है। प्रतिबंधित अर्थ में, वाद कार का अर्थ उन परिस्थितियों से जो कार्यवाही के अधिकार या तात्कालिक अवसर का उल्लंघन करती हैं। व्यापक अर्थ में, इसका अर्थ है कि कार्यवाही के रख- रखाव के लिए आवश्यक शर्तें हैं, जिसमें न केवल कथित उल्लंघन बल्कि अधिकार के साथ जुड़ा उल्लंघन भी शामिल है। अनिवार्य रूप से अभिव्यक्ति का मतलब हर उस तथ्य से है, जिसे न्यायालय के निर्य के प्रति उसके अधिकार या शिकायत का समर्थन करना आवश्यक होगा। हर तथ्य, जिसे साबित करना आवश्यक है, जैसा कि साक्ष्य के प्रत्येक टुकड़े से अलग है, जो इस तरह के तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, इसमें "वाद कार" शामिल है। {611- डी- एफ}

5. अभिव्यक्ति "वाद कार" आम तौर पर ऐसी स्थिति या तथ्यों की स्थिति के रूप में समझा जाता है। जो किसी पक्ष को न्यायालय या न्यायाधिकार में कार्यवाही बनाये रखने का अधिकार देता है। संचालन तथ्यों का एक समूह जो बैठने के लिए एक या अधिक आधारों को जन्म देता है एक तथ्यात्मक स्थिति जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अदालत में उपचार प्राप्त करने का अधिकार देती है। सामान्य कानूनी भाषा

में "वादकार" वाक्यांश का अर्थ उन तथ्यों का अस्तित्व है, जो एक पक्ष को उसकी ओर से न्यायिक हस्तक्षेप का अधिकार देते हैं। {611- जी- एच 612- ए- बी}

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, शब्द और वाक्यांश (चैथे संस्कर) में और हैल्सबरीज के इंग्लैंड के नियम, चैथे संस्कर का उल्लेख किया गया। एच- 6.1 वर्तमान मामले में, पति और उसके रिश्तेदार द्वारा कथित दहेज की माँग के कार शिकायतकर्ता ने स्वयं पति का घर छोड़ दिया इसके बाद दहेज की किसी भी माँग या अपराध का गठन करने वाले किसी भी कार्य के बारे में आरोपों की भनक भी नहीं होती है। ऐसा होने पर, अपराध के जारी रहने से संबंधित संहिता की धारा 178 {सी} का तर्क लागू नहीं किया जा सकता है। { 610- एफ- जी,}

6.2 शिकायत याचिका में शिकायतकर्ता द्वारा परिदृश्य प्रकट किया गया कि जब उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों को तथ्यात्मक पर लागू किया जाता है, तब अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि वाद कार का कोई हिस्सा संबंधित न्यायालय में उत्पन्न नहीं हुआ और इसलिए, संबंधित मजिस्ट्रेट के पास मामले से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। {612- ई- एफ}

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं 904/2004

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्य और आदेश दिनांक 3.9.2003 से न्यायालय में सी.आर.एल. ओपेरेटिव पैरा नं. 2003 को 20942।

अपीलार्थियों की ओर से टी. एल. विश्वनाथ अय्यर और टी. जी. नारायन नायर सुब्रम्यम प्रसाद, एस. नंदा कुमार, एम. योगेश कन्ना, अनुज के लिए कुमार और राकेश के. शर्मा उत्तरदाता।

अरिजीत पासायत, जे: द्वारा न्यायालय के निर्य को स्वीकृति दे दी गई।

अपीलकर्ताओ मद्रास उच्च न्यायालय के एकल विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्य की वैधता पर सवाल उठाया है जिसके तहत अपीलकर्ताओं ने शक्तियों का प्रयोग करके गटप्प् मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सैदापेट चेन्नई न्यायालय की फाइल पर 2001 के सीसी. 3532 में कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 {संक्षेप में 'कोड'} के तहत खारिज कर दिया गया था। अनावश्यक विवरणों के बिना पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं:-

प्रतिवादी नं. 2 शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498 ए और 406 {संक्षेप में 'आईपीसी'} और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 {संक्षेप में 'दहेज अधिनियम'} के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाते हैं

शिकायत दर्ज कराई। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को जांच का करने निर्देश दिया और जांच के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। जब मामला इस प्रकार उत्पन्न हुआ, तो अपीलकर्ताओं ने संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने आरोप लगाया गया कि संबंधित मजिस्ट्रेट के पास शिकायत पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है भले ही उसमें निहित आरोपो पूर्तः स्वीकार कर लिया गया हो। उनके अनुसार, वाद कार का कोई आधार संबंधित न्यायालय की अधिकारिता के भीतर उत्पन्न नहीं हुआ। शिकायत में ही खुलासा किया गया कि 15.4.1997 के बाद, प्रतिवादी नागरकोइल छोड़ कर आ गया, चेन्नई और वहाँ रह रहा था। बिना किसी आधार के सभी आरोप नागरकोइल में शिकायतकर्ता के अनुसार लगाये गये थे, और इसलिए, चेन्नई के न्यायालयों के पास इस मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि पहले शिकायतकर्ता द्वारा अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन जांच के बाद कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई।

जवाब में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कुछ अपराध निरंतर अपराध थे। अपीलकर्ता नं. 1 न्यायिक पृथकर के लिए कार्यवाही शुरू की थी, जिसके लिए उन्हें चेन्नई में नोटिस प्राप्त हुआ था और इसलिए वाद कार मौजूद था।



दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी रुख पर विचार नहीं किया और यहां तक कि अधिकारिता की कमी के संबंध में उठाए गए कानून के प्रश्न पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया। इसने महसूस किया कि पक्षों को उचित अवसर मिलने के बाद पूरी तरह से परीक्षण के बाद कानूनी मानकों पर विचार किया जाना चाहिए और इसलिए, पक्षों द्वारा उठाए गए तथ्यात्मक बिंदुओं पर धारा 484 संहिता के तहत निर्य नहीं लिया जाना चाहिए।

अपील के समर्थन में श्री टी. एल. विश्वनाथ अय्यर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिको स्पष्ट रूप से गलत है, मात्र शिकायत को पढ़ने से यह पता चलता है कि वाद कार का कोई भी हिस्सा उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ जहां शिकायत दर्ज की गई थी। इसलिए, पूरी कार्यवाही का कोई आधार नहीं था। जवाब में, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील नं 2 शिकायतकर्ता प्रस्तुत किया कि अपराध संहिता की धारा 178 {सी} के संदर्भ में लगातार जारी अपराध थे, और इसलिए न्यायालय के पास वाई. अब्राहम अजीत बनाम से निपटने का अधिकार क्षेत्र था।

संहिता की धारा 177 जांच के सामान्य स्थान और विचार से संबंधित है, और निम्नानुसार है:

“धारा 177-: पूछताछ और परीक्षण का सामान्य स्थान:

प्रत्येक अपराध की सामान्यतः जांच की जायेगी वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार क्षेत्र में यह किया गया था।

धारा 177 से 186 मुकदमे के स्थान और स्थान से संबंधित है। धारा 177 हैल्सबरी में इंग्लैंड के कानून {टवस्पग् भाग 83} के संदर्भित सुस्थापित सामान्य कानून नियम को दोहराता है कि किसी अपराध के मुकदमे के लिए उचित और सामान्य स्थान अधिकार क्षेत्र का वह क्षेत्र है जिसमें साक्ष्य के आधार पर, तथ्य सामने आते हैं और जिन पर आरोप लगाया जाता है कि वे अपराध हैं। इस सामान्य नियम के अपवाद कई हैं और उनमें से कुछ, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, संहिता की धारा 178 में दर्शाये गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

धारा 178 पूछताछ या परीक्षण का स्थान

क- जब यह अनिश्चित हो कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में अपराध किया गया था।

ख- जहाँ कोई अपराध आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे में किया जाता है, या किया गया था।

ग- जहाँ एक अपराध जारी है और एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में किया जा रहा है।

घ- जहां इसमें विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं, वहां ऐसी किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा इसकी जांच या मुकदमा चलाया जा सकता है।

“ब्लैकस्टोन के अनुसार, सभी अपराध स्थानीय हैं, अपराध का अधिकार क्षेत्र उस देश का है जहां अपराध किया जाता है। संहिता की धारा 177 में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द “सामान्यतः” है। शब्द का उपयोग इंगित करता है कि प्रावधान एक सामान्य है और इसे संहिता में निहित विशेष प्रावधानों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। जैसा कि न्यायालय ने पुरुषोत्तमदास डालमिया बनाम में कहा है। पश्चिम बंगाल राज्य, आकाशवाणी {1961} एससी 1589, एल एन मुखर्जी बनाम मद्रास राज्य, आकाशवाणी {1961} एससी 1601, {2001} , 4 एस सी सी 350, सामान्यतः शब्द द्वारा निहित अपवाद कानून द्वारा विशेष रूप से प्रदान किए गए अपवादों तक सीमित नहीं होना चाहिए और समान न्यायालय द्वारा अपराधों के संयुक्त विचार की अनुमति देने वाली विधि के भी अपवाद हो सकते हैं। वर्तमान मामले में ऐसा कोई अपवाद लागू नहीं होता है।”

जैसा कि इस न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम देवकर नेन्शी और अन्य में कहा है, ए. आई. आर. {1973} एस. सी. 908, निरंतर अपराध वह है जो अतिसंवेदनशील है निरंतरता की और जो प्रतिबद्ध है। उससे अलग है एक बार और हमेशा के लिए, कि यह उन अपराधों में से एक है जो किसी नियम या इसकी आवश्यकता का पालन करने या उसका पालन करने में विफलता से उत्पन्न होता है और जिसमें शामिल हैं एक जुर्माना, दायित्व तब तक जारी रहता है जब तक कि अनुपालन, कि हर अवसर पर ऐसी अवज्ञा या गैर अनुपालन होती है या पुनरावृत्ति होती है, जहां अपराध किया जाता है।

इस न्यायालय द्वारा सुजाता मुखर्जी {श्रीमती} बनाम प्रशांत कुमार मुखर्जी, {1997}, 5 एससीसी 30 में अपराध को जारी रखने से संबंधित इसी तरह की याचिका की जांच की गई थी। वहां आई पी. सी. की धारा 498 ए, 506 और 323 के तहत दंडनीय कथित अपराधों से संबंधित आरोप हैं। तथ्यात्मक रूप से पृष्ठभूमि में, यह नोट किया गया कि हालाँकि दहेज की माँग पहले की गई थी, शिकायतकर्ता का पति उस स्थान पर गया जहाँ शिकायतकर्ता रह रही थी और उसको प्रताडित किया था। इस न्यायालय ने उस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में अभिनिर्धारित किया कि धारा 178 का खंड {सी} आकर्षित किया गया था। लेकिन वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति अलग है और शिकायतकर्ता स्वयं पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा

कथित दहेज की मांगों के कार 15.4.1997 पर पति का घर छोड़ दिया। इसके बाद एक भनक भी चेन्नई में नहीं होती कि दहेज की मांग या अपराध घटित करने वाला कोई कार्य किया गया हो।

ऐसा होने पर, अपराधों के जारी रहने से संबंधित संहिता की धारा 178 {सी} का तर्क लागू नहीं हो सकता है।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वाद कार का कोई भी भाग संबंधित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। धारा 177 संहिता के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ अपराध किया गया था। संक्षेप में यह अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का कार है।

जबकि दीवानी मामलों में, आम तौर पर अभिव्यक्ति "वाद कार" का उपयोग किया जाता है, आपराधिक मामलों में जैसा कि संहिता की धारा 177 में कहा गया है संदर्भ उस स्थानीय क्षेत्राधिकार का है जहां अपराध किया गया है। व्युत्पत्ति संबंधी अभिव्यक्ति में ये भिन्नताएँ वास्तव में स्थिति को भिन्न नहीं बनाती हैं। इसलिए अभिव्यक्ति "वाद कार" आपराधिक मामलों के लिए नई बात नहीं हैं।

यह तय किया गया कानून है कि वाद कार में तथ्यों का बंडल होता है, जो अदालत में निवार के लिए कानूनी जांच को लागू करने का आधार देता है। दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक समूह है, जो उन पर लागू

कानून के साथ लिया जाता है, कथित रूप से प्रभावित पक्ष को प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ राहत का दावा करने का अधिकार देता है। इसमें बाद वाले द्वारा किया गया कुछ कार्य शामिल होना चाहिए क्योंकि इस तरह के अधिनियम की अनुपस्थिति में वाद कार उत्पन्न हो संभवतः नहीं होगा या होगा।

अभिव्यक्ति "वाद कार" ने न्यायिक रूप से नियत अर्थ प्राप्त कर लिया है। प्रतिबंधित अर्थ में, वाद कार का अर्थ उन परिस्थितियों से जो कार्यवाही के अधिकार या तात्कालिक अवसर का उल्लंघन करती हैं। व्यापक अर्थ में, इसका अर्थ है कि कार्यवाही के रख- रखाव के लिए आवश्यक शर्तें हैं, जिसमें न केवल कथित उल्लंघन बल्कि अधिकार के साथ जुड़ा उल्लंघन भी शामिल है। अनिवार्य रूप से अभिव्यक्ति का मतलब हर उस तथ्य से है, जिसे न्यायालय के निर्य के प्रति उसके अधिकार या शिकायत का समर्थन करना आवश्यक होगा। हर तथ्य, जिसे साबित करना आवश्यक है, जैसा कि साक्ष्य के प्रत्येक टुकड़े से अलग है, जो इस तरह के तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, "वाद कार" में शामिल है। अभिव्यक्ति "वाद कार" का उपयोग कभी कभी तथ्यों या परिस्थितियों के प्रतिबंधित विचार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो दोनों में से किसी एक का गठन करते हैं। अधिकार का उल्लंघन या आधार और अधिक नहीं। एक व्यापक और अधिक व्यापक अर्थ में, इसका उपयोग पूरे भौतिक तथ्यों को दर्शाने के लिए किया गया है।

अभिव्यक्ति "वाद कार" को आम तौर पर एक ऐसी स्थिति या तथ्यों की स्थिति के रूप में समझा जाता है जो एक पक्ष को अदालत या न्यायाधिकार में एक कार्यवाही बनाए रखने का अधिकार देता है। एक या अधिक आधारों को जन्म देने वाले ऑपरेटिव तथ्यों का एक समूह। एक तथ्यात्मक स्थिति जो एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से अदालत में उपचार प्राप्त करने का अधिकार देती है {ब्लैक लॉ डिक्शनरी में- एक "वाद कार" को तथ्यों का पूरा समूह कहा गया है जो एक प्रवर्तनीय दावे को जन्म देता है, वाक्यांश में प्रत्येक तथ्य शामिल है, जिसे यदि पार किया जाये, तो वादी को निर्य प्राप्त करने के लिए साबित करना होगा। "शब्द और वाक्यांश" में, चौथा संस्कर में वाद कार सामान्यतः बोलचाल में "वाद कार" वाक्यांश के लिए जिम्मेदार का अर्थ उन तथ्यों का अस्तित्व है, जो एक पक्ष को उसकी ओर से न्यायिक हस्तक्षेप का अधिकार देते हैं। इंग्लैंड के हैल्सबरी कानून {चौथा संस्कर} में इस प्रकार बताया गया है:

"वाद कार" को केवल एक तथ्यात्मक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके अस्तित्व में एक व्यक्ति को न्यायालय से दूसरे व्यक्ति के खिलाफ उपचार प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। प्रारंभिक समय से ही माना जा रहा है कि इसमें हर उस तथ्य को शामिल किया गया है जो वादी को सफल होने का अधिकार देने के लिए साबित होने योग्य है, और हर उस तथ्य को शामिल करता है जिसे पार करने का

प्रतिवादी को अधिकार होगा। "वाद कार" इसका अर्थ प्रतिवादी की ओर से उस विशेष कार्य से भी लिया गया है जो वादी को उसकी शिकायत का कार बताता है, या कार्यवाही के लिए शिकायत का विषय बताता है, न कि केवल कार्यवाही का तकनीकी कार।

जब उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों को शिकायत याचिका में शिकायतकर्ता द्वारा प्रकट किए गए तथ्यात्मक परिदृश्य पर लागू किया जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि कार्यवाही के कार का कोई भी हिस्सा चेन्नई में उत्पन्न नहीं हुआ और इसलिए, संबंधित मजिस्ट्रेट के पास मामले से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। कार्यवाही निरस्त की जाती है। शिकायत प्रतिवादी संख्या 2 को लौटा दी जाए, यदि वह चाहे, तो इसे कानून के अनुसार निपटाने के लिये उचित न्यायालय में दायर कर सकती है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सिद्धार्थ शंकर शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।